न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/39/2018	14–02–2018	26–02–2019

01– जयनारायण पुत्र हरसहाय जाति मीना निवासी अंगारी तहसील थानागाजी, जिला अलवर राज०

अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार थानागाजी दिनांक 23.10.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू० राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 143/2017

उपस्थितः–

01–श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 23.10.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम अंगारी की गैर मुमकिन राडा भूमि के आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 0.45 है0, पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम अंगारी की गैर मुमकिन राडा भूमि के आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 0.45 है0, पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 11.09.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने दो माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 23.10.2017 के विरूद्ध दिनांक 14.02.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 14.02.2018 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा भविष्य मे अतिक्रमण नहीं करने का निवेदन किया है। पटवारी हल्का के बयान भी छपे–छपाये साइक्लोस्टाईल प्राफॉर्मा पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दर्ज किये गये है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार थानागाजी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित आराजी की जांच संबंधित ग़िरदावर से करावें और अगर विवादित आराजी पर अपीलांट का अतिक्रमण हटा दिया है तो कार्यवाही समाप्त की जावे तथा अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलाण्ट के विरूद्ध एल आर एक्ट की धारा 91(6) के तहत कार्यवाही की जावे। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि वो दिनांक 02.04.2019 को तहसीलदार थानागाजी के न्यायालय में उपस्थित होवें। नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर अपीलांट की तामील मानी जावेगी।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26–02–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)